संख्याःपीसीएच–एचए(3)1/2018–कोर्ट निर्देश–45907–996
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः–

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हि0प्र0

सेवा में,

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9 दिनांक 25/7/18

विषयः– ग्राम पंचायत प्रधानों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, हि0प्र0 के सीएमपी0ओ0 संख्या 211/2018 में दिनांक 13.6.2018 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा विभाग के ध्यान में लाया है कि प्रधानों द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते है जिस हेतु वे विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं होते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत् आपको आगे सूचित किया जाता है कि प्रधान का निर्वाचन, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है तथा वह लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। प्रधान ग्राम पंचायत केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों को जारी कर सकते हैं जिस हेतु वह हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम व अन्य विभागों के अधिनियम/दिशा–निर्देशों अनुसार प्राधिकृत किए गए हों। इसके विपरित यदि ग्राम पंचायत के प्रधान ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करता है जिस हेतु वह सक्षम/प्राधिकृत नहीं है तो वह अपनी शक्तियों के दुरपयोग हेतु विधि अनुसार दण्ड का पात्र होगा।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों को समस्त ग्राम पंचायत प्रधानों को आवश्यक जानकारी तथा अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित करें।

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश।

पृ0 संख्याः– पीसीएच–एचए(3)1/2018–कोर्ट निर्देश-45997-46004 शिमला–9 दिनांक 25/7/2018

प्रतिलिपिः–

(1) अतिरिक्त अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय को सीएमपी0ओ0 संख्या 211/2018 में दिनांक 13.6.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(2) प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा, बैजनाथ व थुनाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
(3) गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश।

CMPMO No. 211 of 2018.

13.06.2018. Present: Mr. G.R. Palsra, Advocate, for the petitioner.

On 11.06.2018, this Court passed the following order:-

> *"The learned counsel for the petitioner has produced before this Court a certificate issued by the Gram Panchayat Kot Dhalyas, Tehsil Aut, District Mandi. A perusal of the certificate prima facie indicates that there is no provision in the H.P. Panchayati Raj Act & Rules or any other law which authorises the Panchayat or the Pradhan Gram Panchayat to issue such kind of certificate, that too, under seal and stamp of the Panchayat.*
>
> *In the given circumstances, let the Director, Panchayati Raj, appear and assist this Court on the next date of hearing.*
>
> *List on **13.06.2018.***
>
> ***Copy dasti."***

Consequent to the aforesaid directions, the Deputy Director, H.P. Panchayati Raj, appeared before this Court and after going through the certificate has candidly admitted that there is no provision either under the H.P. Panchayati Raj Act,1994 (for short 'Act'), Rules or any other law for the time being which authorizes the Pradhan to issue such kind of certificate.

In order to appreciate this controversy, it shall be apposite to reproduce in detail the contents of the certificate, which reads thus:-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री मदन सिंह S/O स्व. श्री [illegible] राम गांव कवडीयाणा मुहाल कोट – हल्याम डा० खा० कोट-[illegible] तह० औट जिला मण्डी (हि.प्र.) का स्थाई निवासी था। वह मानसिक रूप से परेशान था। इलाके में स्थानीय वासियों का दुकान से सामान खाता था तथा जहां उसे भोजन मिले वहीं पर मांग कर खाता था। अंतिम समय में जब वह गम्भीर रूप से बीमार हुआ तो गांव के लोगों ने उसे उसके [illegible] श्री केहर सिंह S/O श्री गंगाराम गांव कवडीयाणा मुहाल कोट हल्याम में पहुंचा दिया था और उसकी मृत्यु उसके घर पर हुई थी जब मृत्यु हुई थी तो उसके घर पर दो देवते वरदनाग व गणपति गांव [illegible] वाले मौजूद थे दो देवताओं के हारयान वाले भी उसी गांव कवडीयाणा में मौजूद थे। देवते के हारयान वाले भी इसके साक्षी है।

अतः प्रमाण पत्र सेवा में प्रस्तुत है।

::: Downloaded on - 25/07/2018 13:44:09 :::HCHP

Evidently, the Pradhan is elected under the provisions of the aforesaid Act and being a public servant, he is required to act strictly in accordance with the statutes that created him. He can, therefore, under his seal and stamp of the Panchayat issue only those certificates for which he is duly and expressly empowered under the Act, but under no circumstance can he be permitted or authorized to issue the certificate in question or else such action could amount to abuse of power or may even at occasions be oppressive, arbitrary and, at the same time, unconstitutional. Being a public servant, the Pradhan cannot arrogate to himself the power to act in a manner for which he is not authorized to act. Obviously, such practice cannot be encouraged and, therefore, it is high time that the Director, H.P. Panchayati Raj, issues specific instructions to the Pradhans to desist from issuing such certificates for which they are not authorized under the law. Let such instructions be issued within six weeks from today.

List on 25.07.2018

(Tarlok Singh Chauhan)
Judge

June 13, 2018.
(krt)

::: Downloaded on - 25/07/2018 13:44:09 ::HCHP